

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
स्थानीय निकाय,  
उ०प्र० लखनऊ।

सम्बन्धित नगर आयुक्त,  
नगर निगम,  
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक 16 जून, 2016

विषय- स्थानीय नागर निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक स्थानीय निकाय के पत्र संख्या-8/3358/122-02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क/2014-15 दिनांक 03.03.15, पत्र संख्या-8/7934/122-02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2014-15 दिनांक-27.03.15, पत्र संख्या-8/9002/122-02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2015-16 दिनांक 14.12.2015 एवं संख्या-8/10256/122-02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2015-16 दिनांक 21.03.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। जिनके द्वारा स्थानीय नगर निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण विलेखों पर संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि निकायों को वितरित की गई थी, जिसकी उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.15 व 31.03.16 थी। उक्त उपयोगिता अवधि समाप्त होने के पश्चात निकायों द्वारा कतिपय कारणों से निर्धारित समय में धनराशि का उपभोग न होने के कारण उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्थानीय नागर निकायों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की स्वीकृति धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.12.16 तक एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवमुक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.17 तक इस शर्त के साथ अन्तिम रूप से बढ़ायी जाती है कि उक्त निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय



(सुधीर सिंह चौहान)  
संयुक्त सचिव।

2.

संख्या एवं दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
  - 3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
  - 4- सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें उ०प्र०।
  - 5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
  - 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
  - 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
  - 8- गार्ड फाइल/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,



(सुधीर सिंह चौहान)  
संयुक्त सचिव।